


उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन

उज्जैन शहर में मार्ग क्रमांक 01, 02, 03
एवं 04 के साँची दुग्ध वितरक
सह-परिवहनकर्ताओं को दूध वितरण के
लिए 01 साँची दूध सुपर स्टॉकिस्ट
नियुक्ति हेतु चतुर्थ
ई-निविदा प्रपत्र
वर्ष 2020-22



उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
मक्सी रोड़ डेयरी प्लांट, उज्जैन-456001
दूरभाष - 2527061,2527068,2527066

मोनो

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित

मकसी रोड, पोस्ट बॉक्स नं.106, उज्जैन-456001 (म.प्र.)

दूरभाष - 0734-2527068, फेक्स नं. 2527063

उज्जैन शहर के साँची दुग्ध वितरक सह-परिवहनकर्ताओं को साँची दूध वितरण कार्य हेतु 01 सुपर स्टॉकिस्ट नियुक्ति हेतु चतुर्थ ई-निविदा सूचना

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा उज्जैन शहर में मार्ग क्रमांक 01, 02, 03 एवं 04 पर साँची दूध विक्रय हेतु वितरक सह-परिवहनकर्ता अनुबंधित है, इन सभी वितरक सह-परिवहनकर्ताओं को साँची दूध के वितरण हेतु 01 साँची दुग्ध सुपर स्टॉकिस्ट प्रतिलीटर मार्जिन दर पर नियुक्त करने के लिए दो वर्ष की अवधि (जिसे कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।) हेतु आर्थिक रूप से सक्षम, अनुभवी एवं योग्य व्यक्तियों/संस्थाओं से ई-निविदा आमंत्रित की जाती हैं। इच्छुक आवेदक वेबसाईट <http://www.mptenders.gov.in> के माध्यम से निविदा प्रपत्र दिनांक 03/07/2020 प्रातः 11:00 से दिनांक 09/07/2020 प्रातः 11:00 बजे तक ऑनलाईन क्रय कर पूर्ण रूप से भरकर ऑनलाईन जमा करें। निविदा प्रपत्र में वर्णित तकनीकी अर्हता संबंधी वांछित दस्तावेज ऑनलाईन अपलोड करे साथ ही ई.एम.डी राशि रु. 5,00,000/- को ऑनलाईन रूप से जमा करना अनिवार्य होगा। प्राप्त सभी निविदाओं की तकनीकी अर्हताएं दिनांक 10/07/2020 अपरान्ह 3:00 बजे निविदाकार/प्रतिनिधि के समक्ष समिति द्वारा खोले जावेंगे। तकनीकी रूप से सफल निविदाकारों की वित्तीय दरें दिनांक 13/07/2020 को अपरान्ह 3:00 बजे खोली जाएगी। अन्य विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाईट www.mpcdf.gov.in पर लॉग ऑन करें।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी

उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित
उज्जैन शहर दुग्ध सुपर स्टॉकिस्ट का कार्य आवंटन हेतु
चतुर्थ ई-निविदा प्रपत्र

1	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन विक्रय प्रारंभ करने की तिथि एवं समय	दिनांक 03/07/2020 प्रातः 11:00 बजे से
2	ई-निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय एवं जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	09/07/2020 अपरान्ह 1:00 बजे तक
4	तकनीकी बीड ऑनलाईन रूप से खोलने की तिथि एवं समय	10/07/2020 अपरान्ह 3:00 बजे
5	वित्तीय बीड (प्राइज बीड) खोलने की तिथि एवं समय	13/07/2020 अपरान्ह 3:00 बजे
6	निविदा के साथ जमा की जाने वाली धरोहर राशि	ईएमडी राशि रुपये 5,00,000/- ऑनलाईन भुगतान करें।
7	निविदा प्रपत्र का मुल्य	रुपये 500/- (पांच सौ मात्र)(केवल ऑनलाईन भरें।)
8	निविदा खोलने का स्थान एवं पता	उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन
9	साँची दुग्ध सुपर स्टॉकिस्ट कार्य हेतु निविदा की आवश्यक शर्तें एवं तकनीकी अर्हताएं का प्रारूप।	प्रपत्र 01 एवं 02 (केवल ऑनलाईन भरें।)
10	“भाव पत्र/दरें” प्रस्तुत करने का प्रारूप	प्रपत्र- 03 (केवल ऑनलाईन भरें।)
11	अनुबंध का प्रारूप	प्रपत्र- 04 (केवल ऑनलाईन भरें।)

निविदा प्रस्तुत करते समय ध्यान रखा जावे कि :-

- निविदा प्रपत्र में उल्लेखित शर्तों के अतिरिक्त निविदाकार की ओर से कोई भी शर्त मान्य नहीं की जावगी।
- प्रपत्र 03 जिसमें दरें संलग्न होगी सिर्फ और सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाए एवं भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त समझा जावेगा।

टिप्पणी :-

1. ऑनलाईन निविदा अपलोड एवं प्राप्ति की तिथि व समय में अवकाश घोषित होने पर भी कोई परिवर्तन नहीं होगा किन्तु यदि निविदा तकनीकी बिड व फाइनैशियल बिड खोलने के लिए निर्धारित दिनांक को अवकाश घोषित किया जाता है, तो निविदा की संबंधित कार्यवाही अगले कार्य दिवस पर पूर्व निर्धारित समय पर की जावेगी।

2. निविदा कार्य अवधि :-

निविदा वर्ष 2020-2022 (2 वर्ष) के लिए आमंत्रित है। कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से एक-एक वर्ष करके तीन वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

**साँची दूध सुपर स्टॉकिस्ट हेतु चतुर्थ
ई-निविदा की आवश्यक शर्तें**

1. "अ"— निविदाकार को आवेदन पत्र के साथ स्व प्रमाणित (हस्ताक्षर कर) पासपोर्ट साईज फोटो लगाना अनिवार्य है।
"ब"— निविदाकार के पास विगत तीन वर्ष का दूध/दुग्ध पदार्थ अथवा एफएमसीजी विक्रय में अनुभव होना आवश्यक है तथा विगत तीन वर्षों में न्यूनतम कुल 10 करोड़ का टर्न ओवर होना अनिवार्य है। टर्न ओवर के सत्यापन हेतु अधिकृत चार्टर्ड अकाउंटेंट से सील एवं हस्ताक्षर सहित बेलेन्स शीट संलग्न करना अनिवार्य है।
2. निविदाकार के पास स्वयं के अथवा अनुबंधित न्यूनतम 7 मे.टन लोडिंग क्षमता के न्यूनतम 4 इंसुलेटेड वाहन होना आवश्यक है यदि निविदाकार नये वाहन क्रय करना चाहता है तो तदाशय का मूल शपथ पत्र निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करें। वाहन को इंसुलेटेड कराने हेतु एक माह का समय दिया जावेगा। इंसुलेटेड वाहन (थर्मोकॉल हैवी डेन्सिटी 4 इंच या पफ इंसुलेटेड 02 इंच) वर्ष - 2016 या उसके बाद पंजीकृत वाहन होना चाहिए, वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी। सुपर स्टॉकिस्ट प्रत्येक मार्ग हेतु डेयरी डॉक से एक बड़े इंसुलेटेड वाहन से ही दूध प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक वितरक सह-परिवहनकर्ता को मांग (Demand) अनुसार दूध की प्रदायगी एक-एक स्थान पर करनी होगी।
3. निविदाकार निविदा के साथ रूपये 5,00,000/- (रूपये पांच लाख मात्र) अर्नेस्ट मनी के रूप में ऑनलाईन जमा करना अनिवार्य होगा। अर्नेस्ट मनी जमा न करने की स्थिति में निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा तथा ऐसी निविदा स्वतः निरस्त मानी जावेगी।
4. निविदा स्वीकृत होने के बाद किसी भी कारण वश कार्य नहीं करने पर निविदाकार की अर्नेस्टमनी राजसात करने का निर्णय मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा लिया जा सकेगा।
5. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सुपर स्टॉकिस्ट को प्रतिभूति राशि मद में कुल प्रतिदिन विक्रय किये गये दूध के मुल्य की पांच गुना राशि बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा, (वर्तमान में रु. 80 लाख) जिसमें 60 प्रतिशत नगद राशि एवं शेष 40 प्रतिशत राशि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम बैंक ग्यारंटी के रूप में संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। दुग्ध विक्रय में वृद्धि होने पर पांच दिन की दूध विक्रय की मात्रा की राशि के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति राशि दुग्ध संघ में जमा करना होगी। प्रतिभूति राशि अनुबंध के साथ जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किये जाएंगे। सफल निविदाकार को उपरोक्त प्रतिभूति के अतिरिक्त प्रतिदिन आवश्यक क्रेटों की संख्या की तीन गुना क्रेटों की वर्तमान दर आधार पर क्रेट प्रतिभूति राशि (वर्तमान में रु. 20,00,000/- नगद/बैंक ग्यारंटी) जमा करनी होगी। प्रतिभूति राशि अनुबंध के साथ जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किये जाएंगे।
6. निविदा प्रपत्र के साथ अथवा अनुबंध अवधि में किसी भी समय आवेदक निविदाकार द्वारा दी गई जानकारी यदि असत्य प्रमाणित होती है तो अर्नेस्टमनी/प्रतिभूति राशि राजसात करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा, साथ ही ऐसी निविदा/अनुबंध निरस्त कर दिया जावेगा।
7. आवश्यकता प्रतिपादित होने पर केवल न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकार से नेगोशिएशन कर दरों का निर्धारण किया जा सकेगा।

8. निविदा स्वीकृत की स्थिति में सफल निविदाकार को संघ द्वारा निर्धारित औपचारिकताएं पूर्ण कर निर्धारित प्रपत्र अनुसार अनुबंध निष्पादित करना होगा ।
9. निविदाकार को निविदा "प्रपत्र क्रमांक 3" जिसमें दरें भरनी होगी, सिर्फ ऑनलाईन माध्यम से ही भेजा जाय एवं भौतिक रूप से प्राप्त दरों को निरस्त माना जावेगा ।
10. किसी भी/समस्त निविदा को बिना कारण बताए हुए निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।
11. निविदाकार डीजल दरों, श्रमिक व्ययों, स्टेशनरी व्यय, आदि समस्त संबंधित खर्चों को ध्यान में रखते हुए निविदा में मार्जिन रू/पैसा प्रतिलीटर दूध आधार पर दर प्रस्तुत करें। निविदा स्वीकृत पश्चात किसी भी व्यय या खर्च में बढ़ोत्तरी होने पर अनुबंध अवधि में सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ द्वारा स्वीकृत मार्जिन में दर में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की जाएगी ।
12. निविदा प्रपत्र के साथ दुग्ध संघ के साथ किये जाने वाले अनुबंध प्रपत्र संलग्न है जिसकी शर्तें आवश्यक रूप पढ़ कर समझ लें। वर्तमान में मार्गवार औसत विक्रय साँची दूध की मात्रा की जानकारी निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न है ।
13. निविदा स्वीकृति के उपरांत सुपर स्टॉकिस्ट की कार्य अवधि दो वर्षों के लिए प्रभावशील रहेगी। दुग्ध संघ द्वारा सुपर स्टॉकिस्ट का कार्य दो वर्षों की अवधि में संतोषप्रद पाए जाने पर अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष करके तीन वर्षों तक आपसी सहमति से बढ़ायी जा सकेगी ।
14. निविदा अवधि के दौरान किसी वितरण मार्ग पर वाहन की क्षमता से अधिक दुग्ध विक्रय होने पर सुपर स्टॉकिस्ट को प्रबंधन के निर्देशानुसार अतिरिक्त वाहन की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर करनी होगी ।
15. सभी औपचारिकताएं निर्धारित अवधि में पूर्ण करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में कार्यवाही पूर्ण न होने पर आदेश निरस्त किया जा सकेगा एवं अमानत राशि भी राजसात की जा सकेगी ।
16. सुपर स्टॉकिस्ट को FSSAI के नियमों के अन्तर्गत पंजीयन कराना/लायसेन्स बनवाना अनिवार्य होगा ।
17. निविदा प्रपत्र क्रमांक 04 में अनुबंध से संबंधी दर्शाई गई समस्त शर्तें इस निविदा पर बंधनकारी रहेगी ।
18. दुग्ध संघ द्वारा सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध विक्रय हेतु विक्रय लक्ष्य दिये जाएंगे, (गतवर्ष समान माह में हुई दूध विक्रय मात्रा से 10 प्रतिशत अधिक) जिनकी पूर्ति करना अनिवार्य होगा। अन्यथा संक्षिप्त समीक्षा कर दुग्ध संघ हित में अनुबंध निरस्त करने का अधिकार मुख्य कार्यपालन अधिकारी को होगा ।
19. वर्तमान में दुग्ध संघ के साथ कार्य कर रहे किसी भी ठेकेदार द्वारा इस निविदा में भाग लिया जाता है तो निविदा स्वीकृत होने के एक सप्ताह के अन्दर वर्तमान ठेके से संबंधित लेनदारी-देनदारी का पूर्ण हिसाब कर 15 दिवस में समस्त बकाया धनराशि एवं क्रेट दुग्ध संघ में जमा कराने होंगे तदोपरान्त ही कार्यादेश जारी किया जा सकेगा, अन्यथा निविदा निरस्त होकर ई.एम.डी राशि राजसात हो जावेगी तथा भविष्य के लिए ऐसी पार्टी को ब्लेक लिस्ट किया जावेगा ।
20. दुग्ध संघ के साथ पूर्व में कार्य कर चुके कोई भी ऐसे ठेकेदार जिनकी तरफ दुग्ध संघ की कोई भी बकाया राशि, क्रेट अथवा अन्य सामग्री लंबित है इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे। यदि ऐसे पूर्व ठेकेदार इस निविदा में भाग लेना चाहते हैं तो निविदा में भाग लेने के पूर्व समस्त बकाया राशि एवं क्रेट आदि दुग्ध संघ में जमा कर प्राप्त एनओसी को निविदा में संलग्न करना आवश्यक होगा अन्यथा निविदा स्वतः ही निरस्त हो जावेगी तथा ई.एम.डी. राशि राजसात कर ली जावेगी ।

21. ऐसी कोई भी पार्टी जिनसे वसूली अथवा अन्य प्रकरण में दुग्ध संघ के न्यायीक प्रकरण किसी भी माननीय न्यायालय में विचाराधीन है, इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
22. दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे, इस बाबत् निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
23. कोई भी निविदाकार एमपीसीडीएफ भोपाल एवं सम्बद्ध समस्त दुग्ध संघों में से किसी भी कार्य/अनुबंध हेतु अनियमितताओं के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं होना चाहिए अन्यथा ऐसे निविदा स्वतः निरस्त माने जाएंगे। इस बाबत् निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप अनुसार रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र निविदा के साथ प्रस्तुत करना होगा।
24. यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जाती हैं तो प्रथमतः नवीनतम मॉडल के वाहन हेतु प्रस्तुत निविदा को प्राथमिकता दी जावेगी। वाहन मॉडल भी समान पाये जाने पर एक समान न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले समस्त निविदाकारों में से कार्यावंटन हेतु चयन गठित समिति के समक्ष लॉट्री द्वारा किया जावेगा।
25. ऐसे व्यक्ति/फर्म इस निविदा में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे जिनके विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज हो। इस बाबत् निविदाकार को निविदा के साथ संलग्न प्रारूप में रू. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर मूल शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।

मेरे द्वारा साँची दूध सुपर स्टॉकिस्ट की निविदा एवं अनुबंध की शर्तें पढ़ व समझ ली है तथा मैं/ हम सभी शर्तों को मानने के लिए सहज तैयार हूँ/हैं। निविदा में दी गई जानकारी पूर्णतः सत्य है। यदि मेरे द्वारा निविदा में प्रस्तुत जानकारी निविदा कार्यवाही के दौरान अथवा भविष्य में कभी भी असत्य प्रमाणित होती है या मैं बिन्दु क्रमांक 01 से 25 तक वर्णित शर्तों को पालन नहीं करता हूँ, तो मेरी निविदा/अनुबंध निरस्त कर मेरी अर्नेस्टमनी/जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने का दुग्ध संघ प्रबंधन द्वारा निर्णय किया जाता है तो मैं इस हेतु अपनी सहमति देता हूँ।

हस्ताक्षर

आवेदक का नाम एवं पता

(तकनीकी अर्हताएं)

प्रपत्र 02

पासपोर्ट
साईज फोटो
(स्व प्रमाणित)

प्रति,

मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित,
उज्जैन

महोदय,

उज्जैन शहर में साँची दुग्ध सुपर स्टॉकिस्ट के कार्य हेतु दिनांक को दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित ई-निविदा के संदर्भ में निवेदन करता हूँ कि मेरे द्वारा निविदा प्रपत्र में वर्णित समस्त शर्तें एवं निर्देश पढ कर समझ लिए गये हैं। यदि मेरी निविदा स्वीकृत की जाती है तो मैं आपके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार कार्य करने हेतु सहमत हूँ। अतः एतत् द्वारा ई.एम.डी. राशि रू. 5,00,000/- (अक्षरी रू. पांच लाख मात्र) ऑनलाईन रूप से जमा की गई हैं, जिसकी स्लीप संलग्न है।

तकनीकी अर्हताएं

क्रमांक	आवश्यक अर्हता	विवरण जानकारी	अनिवार्यतः संलग्न किये जाने वाले स्व प्रमाणित दस्तावेज
1.	निविदाकार का नाम व पता (संस्था/फर्म आदि की दशा में पंजीयन का प्रमाण)		संस्था पंजीयनकर्ता कार्यालय का पत्र/प्रमाण पत्र।
2	यदि कोई पार्टनर हो तो उनका नाम व पता।		पंजीकृत पार्टनरशीप डीड।
3	संस्था/फर्म होने की दशा में मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम		संस्था /फर्म के संचालक मंडल/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी का अधिकार पत्र।
4	निविदाकर्ता का पेनकार्ड नम्बर होना अनिवार्य।		पेनकार्ड की छायाप्रति संलग्न करें।
5	साँची दुग्ध वितरण हेतु स्वयं के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित न्यूनतम 7 मे.टन लोडिंग क्षमता के चार इंसुलेटेड वाहन मॉडल - 2016 या उसके बाद के होना अनिवार्य है। (नये वाहन खरीदने की स्थिति में रू. 100/- के स्टॉम्प पेपर पर तदाशय का शपथ पत्र संलग्न करें। स्वयं का वाहन होने पर पंजीयन प्रमाण पत्र की कॉपी तथा अनुबंधित वाहन होने पर रू. 1000/- के स्टॉम्प पेपर पर अनुबंध एवं संबंधित वाहन की पंजीयन प्रमाण पत्र)		उपलब्ध समस्त वाहनों के पंजीयन/अनुबंध की प्रति लगावें। या शपथ पत्र संलग्न करें।
7	निविदाकार का FSSAI का लायसेन्स आवश्यक है।		FSSAI प्रमाण पत्र की प्रति प्रस्तुत करें।
8	बैंक का नाम एवं खाता क्रमांक		बैंक स्टेटमेन्ट की एक वर्ष की छायाप्रति या निरस्त

			चेक लगावे।
9	वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 (कर निर्धारण वर्ष 2018-19) अयकर का रिटर्न दाखिल करने का प्रमाण		आयकर विभाग में रिटर्न जमा करने की पावती।
10	निविदाकार एमपीसीडीएफ/अन्य दुग्ध संघ से टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं है। (इस बाबत का रु. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
11	निविदाकार दुग्ध संघ के कोई भी अधिकारी/कर्मचारी, माननीय अध्यक्ष, एवं संचालक मण्डल के सदस्य स्वयं अथवा उनके रिश्तेदार नहीं है। (इस बाबत का रु. 100 के स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र)		शपथ पत्र संलग्न करें।
12	निविदाकार के विरुद्ध किसी भी थाने में अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। (इस बाबत रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर शपथ पत्र।)		शपथ पत्र संलग्न करें।
13	विगत तीन वर्षों में कुल न्यूनतम टर्नओवर रु. 10 करोड़ अथवा उससे अधिक होना अनिवार्य है।		बेलेन्स शीट की छायाप्रति संलग्न की जाए।
14	ईएमडी राशि रु. 5,00,000/- ऑनलाईन जमा की स्लीप		संलग्न करें।

नोट:-

1. उक्त समस्त शपथ पत्र रु. 100/- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पेपर पर पृथक-पृथक मूल रूप से नोटराईज्ड कराकर आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य है।
2. उक्त दस्तावेजों (जिनकी छायाप्रतियां मांगी गई हैं) की स्वयं के द्वारा प्रमाणित छायाप्रतियां संलग्न करना अनिवार्य है, तथा निविदा स्वीकृति होने पर मूल दस्तावेजों से सत्यापित कराना अनिवार्य है।
3. तकनीकी अर्हताओं संबंधित प्रपत्र क्रमांक 01 निविदा की शर्तें एवं प्रपत्र क्रमांक 02 पूर्ण रूप से भरकर हस्ताक्षर कर ऑनलाईन जमा आर्नेस्ट मनी की स्लीप एक लिफाफे में एवं निविदा दर सम्बन्धी प्रपत्र क्रमांक 03 ऑनलाईन के माध्यम से प्रस्तुत करना होगी। तकनीकी अर्हताएं पूर्ण करने वाले निविदाकार की ही निविदा दरें खोली जावेगी। प्रपत्र क्रमांक 04 , अनुबंध की शर्तों का प्रारूप पढ़कर, समझकर मान्य होने की स्थिति में ही निविदा प्रस्तुत करें।
4. उपरोक्त जानकारियों में से कोई भी जानकारी वर्तमान में अथवा भविष्य में कभी भी असत्य पाये जाने पर ठेका निरस्त कर अमानत राशि राजसात की जा सकेगी।

हस्ताक्षर

नाम-----

पता-----

दूरभाष नम्बर -----

मोबाईल नम्बर -----

उज्जैन शहर में साँची दूध सुपर स्टॉकिस्ट हेतु भाव पत्र

पासपोर्ट
साईज फोटो
चस्पा करें।

1. निविदाकार/फर्म का नाम -.....
2. पिता का नाम -.....
3. स्थाई पता -.....
(आधार कार्ड की स्व: प्रमाणित
छायाप्रति संलग्न करें) -
4. दूरभाष नं./मोबाईल नं. -.....
5. ई-निविदा में निम्नानुसार सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन दरें प्रस्तुत करता हूँ। (केवल ऑनलाईन प्रस्तुत की गई दरें ही मान्य की जावेगी।) मुझे ज्ञात है कि सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन के अतिरिक्त परिवहन मद, श्रमिक मद, या अन्य किसी मद में दुग्ध संघ द्वारा कोई भी अतिरिक्त भुगतान अनुबंध अवधि में नहीं किया जाएगा।

क्र.	विवरण	प्रस्तावित दर (रूपये/पैसे) प्रतिलीटर	
		अंको में	शब्दों में
1	सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन		

नोट :-यदि दो या दो से अधिक निविदाकार द्वारा एक समान न्यूनतम दरें प्रस्तुत की जाती है तो प्रथमतः नवीनतम मॉडल के वाहन हेतु प्रस्तुत निविदा को प्राथमिकता दी जावेगी। वाहन मॉडल भी समान पाये जाने पर एक समान न्यूनतम दर प्रस्तुत करने वाले समस्त निविदाकारों में से कार्यावंटन हेतु चयन गठित समिति के समक्ष लॉट्री द्वारा किया जावेगा।

दिनांक

हस्ताक्षर

निविदाकार/अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का नाम
एवं पूर्ण पता

पता-----

इकरारनामा बाबत अधिकृत साँची दूध सुपर स्टॉकिस्ट (उज्जैन शहर)

यह अनुबंध आज दिनांकको लिखा गया जिसका प्रथम पक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी, अथवा इस पद पर आने वाले पदाधिकारी, उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, मक्सी रोड़ उज्जैन एवं द्वितीय पक्ष श्री/श्रीमती...../ प्रोप्रायटर मेसर्स..... है।

प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उज्जैन शहर के लिए साँची दुग्ध का सुपर स्टॉकिस्ट निम्नानुसार शर्तों पर नियुक्त करना स्वीकार किया है।

संलग्न परिशिष्ट इस अनुबंध का एक भाग है, जिसे सुपर स्टॉकिस्ट हेतु शर्तें कहा जावेगा, उक्त शर्तों में जहां – जहां दुग्ध संघ शब्द आवेगा, उसका अर्थ उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन से होगा एवं इसकी समस्त शर्तें दोनों पक्षों के लिए लागू रहेगी।

सुपर स्टॉकिस्ट से तात्पर्यसे होगा, जिसे आगे द्वितीय पक्ष के नाम से संबोधित किया गया है। यह ठेका प्रारंभ दिनांकसे दो वर्ष की अवधि हेतु अर्थात् दिनांकतक प्रभावशील रहेगा।

1. सुपर स्टॉकिस्ट को रूपये प्रतिलीटर सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन दिया जावेगा। इसके अतिरिक्त दुग्ध संघ द्वारा परिवहन, श्रमिक, स्टेशनरी, लीकेज या अन्य किसी भी मद में सुपर स्टॉकिस्ट को कोई अतिरिक्त मार्जिन या व्यय अनुबंध अवधि में नहीं दिया जावेगा। दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन को संशोधित करने पर सुपर स्टॉकिस्ट पर बंधनकारी होगा।
2. सुपर स्टॉकिस्ट के पास स्वयं के अथवा अनुबंधित न्यूनतम 7 मे.टन लोडिंग क्षमता के न्यूनतम 4 इंसुलेटेड वाहन होना आवश्यक है। इंसुलेटेड वाहन (थर्मोकॉल हैवी डेन्सिटी 4 इंच या पफ इंसुलेटेड 02 इंच) वर्ष – 2016 या उसके बाद पंजीकृत वाहन होना चाहिए, वाहन की फिटनेस आर.टी.ओ. से कराकर कार्यालय में जमा करनी होगी। सुपर स्टॉकिस्ट डेयरी डॉक से प्रत्येक मार्ग के लिए पृथक से बड़े इंसुलेटेड वाहन से ही दूध प्राप्त करेंगे तथा प्रत्येक वितरक सह-परिवहनकर्ता को मांग अनुसार दूध की प्रदायगी एक-एक स्थान पर करनी होगी।
3. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा डेयरी संयंत्र उज्जैन से निविदा में वर्णित अनुसार स्वयं के नाम से पंजीकृत/अनुबंधित वांछित क्षमता के इंसुलेटेड वाहन से आवश्यकतानुसार पैकेट दूध उठाया जाएगा एवं शहर में स्थित साँची वितरक सह-परिवहनकर्ता को निर्धारित समय एवं एक स्थान पर दूध वितरित किया जाएगा, तथा प्रतिदिन सुबह एवं शाम दोनों पालियों में अनिवार्य रूप से प्रदायगी करनी होगी।
4. सुपर स्टॉकिस्ट को शहर में एक कार्यालय खोलना होगा तथा इस कार्यालय में समस्त आवश्यक विपणन संबंधी अधोसंरचना स्थापित करना होगी।
5. सुपर स्टॉकिस्ट को एक उपयुक्त व्यक्ति दोनों पारियों की समय पर मांग प्रस्तुत करने, समय पर क्रेट वापस जमा करने, क्रेटों का नियमित मिलान कराने एवं अपने समक्ष वितरण वाहन डिस्पेच करने के लिए नियमित डेयरी डॉक उज्जैन पर रखना होगा।

6. सुपर स्टॉकिस्ट को गत वर्ष समान माह में विक्रय हुई दूध मात्रा की तुलना में न्यूनतम 10 प्रतिशत वृद्धि करना अनिवार्य होगा। अन्यथा संक्षिप्त समीक्षा कर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
7. दुग्ध संघ द्वारा सुपर स्टॉकिस्ट को दूध वितरण करने, क्रेट वापस करने, समस्त वितरक सह-परिवहनकर्ता से पृथक-पृथक मांग प्राप्त कर समेकित रूप से प्रस्तुत करने तथा दूध की राशि प्राप्त करने के लिए प्रतिलीटर का मार्जिन दिया जाएगा तथा दुग्ध संघ द्वारा वितरकों, रिटेलरों या उपभोक्ताओं को दिये जाने वाले मार्जिन, अग्रिम कार्ड छूट या अन्य प्रोत्साहन योजना को यथावत पास ऑन करना होगा।
8. सुपर स्टॉकिस्ट को दुग्ध संघ कार्यालय में प्रतिभूति राशि मद में कुल प्रतिदिन विक्रय किये गये दूध के मुल्य की पांच गुना राशि प्रतिभूति राशि रूपये 80,00,000/- दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा, जिसमें 60 प्रतिशत नगद राशि रूपये एवं शेष 40 प्रतिशत राशि रूपये उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम बैंक ग्यारंटी के रूप में दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। दुग्ध विक्रय में वृद्धि होने पर पांच दिवस की दूध विक्रय की मात्रा की राशि के समतुल्य अतिरिक्त प्रतिभूति राशि संघ में जमा करना होगी। सुपर स्टॉकिस्ट को उपरोक्त प्रतिभूति के अतिरिक्त प्रतिदिन आवश्यक क्रेटों की संख्या की तीन गुना क्रेटों की वर्तमान दर आधार पर क्रेट प्रतिभूति राशि रु. 20,00,000 जमा करनी होगी, जिसमें 60 प्रतिशत नगद राशि रूपये एवं शेष 40 प्रतिशत राशि रूपये उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन के नाम बैंक ग्यारंटी के रूप में दुग्ध संघ कार्यालय में जमा करनी होगी। दुग्ध संघ में जमा की गई नगद राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। प्रतिभूति राशि अनुबंध के साथ जमा करने के उपरांत ही कार्य आदेश जारी किये जाएंगे।
9. सुपर स्टॉकिस्ट को दैनिक रूप से दुग्ध विक्रय के विरुद्ध राशि संबंधित दुग्ध वितरक सह-परिवहनकर्ता से स्वयं वसूल करना होगी।
10. सुपर स्टॉकिस्ट को प्रतिदिन दुग्ध विक्रय राशि (सुबह शाम मिलाकर) का भुगतान आरटीजीएस (ई-पेमेन्ट) के माध्यम से अग्रिम जमा करना होगा। ई-पेमेन्ट के माध्यम से प्राप्त भुगतान की जानकारी वित्त शाखा द्वारा विपणन शाखा को उपलब्ध कराने पर दुग्ध प्रदाय किया जायेगा। अपरिहार्य स्थिति जैसे - इंटरनेट बैंकिंग के सर्वर डाउन होने, आदि की स्थिति में सुपर स्टॉकिस्ट की संघ में रेखांकित (दुग्ध संघ के हित में) धनादेश देगा। धनादेश देकर भुगतान प्राप्त किया जाएगा। धनादेश बाउंस होने पर संघ के नियम अनुसार रूपये 1000/- प्रतिदिन अर्थदण्ड सहित संपूर्ण राशि संघ में जमा करनी होगी। राशि जमा न करने की स्थिति में दुग्ध संघ सुपर स्टॉकिस्ट का कानुनी कार्यवाही मय हर्जे-खर्चे करने हेतु स्वतंत्र होगा, तथा बाउंस धनादेश के तहत भुगतान प्राप्त करने का हकदार होगा। या उसके द्वारा रखी गई जमानत राशि/बैंक ग्यारंटी फिक्स डिपॉजिट/ग्यारंटर से अलग-अलग या मिलाकर वसूली करने का पूर्ण अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अवकाश की स्थिति में अवकाश दिवसों की प्रदायगी की धनराशि भी अग्रिम रूप से जमा करनी होगी। यह भुगतान चेक/आरटीजीएस के माध्यम से संघ द्वारा प्राप्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा संघ के सक्षम अधिकारी से अनुमति लेकर नगद राशि भी संघ में जमा की जा सकेगी। संघ द्वारा बताई गई बैंकों की सूची में से किसी एक बैंक में सुपर स्टॉकिस्ट को वित्तीय व्यवहार के लिए खाता खोलना अनिवार्य होगा। वितरक सह-परिवहनकर्ता से राशि वसूलने की कोई भी जिम्मेदारी दुग्ध संघ की नहीं होगी।

11. दुग्ध संघ द्वारा सुपर स्टॉकिस्ट को कार्य प्रारंभ करने पर विक्रय मात्रा को दृषिगत रखते हुए क्रेट्स प्रदाय की जाएगी, जिसके लिए वर्तमान में क्रेट क्रय दर के आधार पर तीन दिन के विक्रय हेतु आवश्यक क्रेटों की राशि 20,00,000/- दुग्ध संघ में 60 प्रतिशत नगद एवं 40 प्रतिशत बैंक ग्यारंटी द्वारा जमा करनी होगी। विक्रय में वृद्धि होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त राशि नगद दुग्ध संघ में बतौर क्रेट प्रतिभूति जमा करनी होगी। जिसे कार्य समाप्त होने पर संपूर्ण क्रेट जमा अथवा कम जमा की गई क्रेटों की तत्समय प्रभावशील क्रेट क्रय दर के आधार पर धनराशि कटोत्रा कर बिना ब्याज के दुग्ध संघ द्वारा सुपर स्टॉकिस्ट को वापस किया जा सकेगा।
12. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा जितने क्रेट दुग्ध प्रदाय हेतु लिये जाएंगे उतने ही क्रेट दैनिक रूप से दुग्ध संघ में जमा करना अनिवार्य होगा तथा सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा अपने दस्तावेज लाकर क्रेटों का मिलान प्रत्येक 10 दिवस में दुग्ध संघ के रिकॉर्ड से किया जाएगा। जितने भी क्रेट्स सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा एक माह में कम जमा किये जाएंगे उनकी राशि तत्समय क्रेट की लागू क्रय दर से दुग्ध संघ में जमा करना होगी।
13. सुपर स्टॉकिस्ट को शाम पाली की मांग दैनिक रूप से दिन के 11 बजे तक एवं अगले दिन की प्रातः पाली की मांग शाम की 3 बजे तक संघ को अवगत कराना होगी। इसके अतिरिक्त विशेष परिस्थितियों में यदि मांग में वृद्धि की जाना है तो सुपर स्टॉकिस्ट कार्यालय से सहमति लेने के उपरांत ही मांग की पुष्टि कर सकेगा। दुग्ध संघ स्तर से पुरे प्रयास किये जाएंगे कि सुपर स्टॉकिस्ट को मांग अनुसार दूध प्रदाय किया जा सके। किन्तु किन्हीं अपरिहार्य कारणों से यदि संघ द्वारा मांग अनुसार दूध प्रदाय संभव नहीं हो पाता है तो दुग्ध संघ द्वारा द्वितीय पक्ष को किसी भी प्रकार के नुकसान की भरपाई नहीं की जाएगी।
14. सुपर स्टॉकिस्ट को निविदा में वर्णित क्षमता एवं मॉडल अनुसार दुग्ध वितरण व्यवस्था हेतु स्वयं के नाम के पंजीकृत/अनुबंधित 04 इंसलेटेड वाहन के माध्यम से करना होगी जिससे की दूध गुणवत्ता में किसी प्रकार का विपरित प्रभाव परलक्षित न हो।
15. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा स्वयं के व्यय पर वितरण वाहनों को दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित डिजाईन से पेन्ट/विनाईल पेस्टिंग कराना आवश्यक होगा।
16. किसी भी वाहन के खराब होने पर, दुर्घटनाग्रस्त होने या अन्य कोई कमी होने के कारण वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था स्वयं सुपर स्टॉकिस्ट को अपने स्तर से करना अनिवार्य होगा तथा ऐसी स्थिति में हुए सभी प्रकार के नुकसान सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा वहन किया जावेगा।
17. दुग्ध संघ स्तर से दूध की बिलिंग, सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन, वितरक मार्जिन एवं फुटकर विक्रेता का मार्जिन काटकर ही की जावेगी एवं सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा वितरक सह-परिवहनकर्ताओं/रिटेलर/फुटकर विक्रेता को उनका मार्जिन कम कर ही राशि प्राप्त की जावेगी। इस प्रकार सुपर स्टॉकिस्ट को सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन, वितरक सह-परिवहनकर्ताओं को वितरक मार्जिन एवं फुटकर विक्रेता को दैनिक रूप से उनके द्वारा विक्रय किये गये दूध का रिटेलर मार्जिन प्राप्त हो सकेगा।
18. दुग्ध संघ द्वारा संस्थाओं को सीधे प्रदाय किये गये दूध की मात्रा पर सुपर स्टॉकिस्ट मार्जिन नहीं दिया जाएगा। यदि दुग्ध संघ द्वारा प्रदायित मात्रा तथा संस्था को प्राप्त मात्रा में कोई भिन्नता/कमी होती है तो कम मात्रा की धनराशि सुपर स्टॉकिस्ट/ वितरक सह-परिवहनकर्ता से वसूल की जाएगी।

19. यदि सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा दिये गये चैक बैंक द्वारा किसी भी कारण से अनादरित कर बिना भुगतान के वापस किये जाते हैं तो दुग्ध संघ द्वारा तत्काल उसकी सूचना सुपर स्टॉकिस्ट को मोबईल/या दूरभाष पर ही दी जावेगी तथा वांछित राशि सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा तत्काल दुग्ध संघ में जमा करनी होगी। साथ ही प्रत्येक अनादरित चेक के लिए राशि रूपये 1000/- अर्थदण्ड सहित दुग्ध संघ कार्यालय में आरटीजीएस के माध्यम से जमा कराना होगा।
20. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा प्रदाय चेक केवल तकनीकी कारणों को छोड़कर माह में तीन या उससे अधिक बार अनादरित होते हैं तो संक्षिप्त समीक्षा कर सुपर स्टॉकिस्ट कार्य आवंटन निरस्त कर जमा प्रतिभूति राशि राजसात करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
21. किन्हीं भी कारणों से सुपर स्टॉकिस्ट को कार्य छोड़ने हेतु एक माह पूर्व (30 दिवस) का नोटिस देना अनिवार्य होगा। नोटिस अवधि में संघ द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित करने की कार्यवाही की जा सकेगी। किन्तु निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने तक दुग्ध संघ द्वारा निर्देशित करने पर सुपर स्टॉकिस्ट को यथावत कार्य करना होगा। इसी प्रकार उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा सुपर स्टॉकिस्ट को 30 दिवस को नोटिस देकर बिना कोई कारण बताएं हटा दिया जा सकेगा।
22. सुपर स्टॉकिस्ट के पास पेन कार्ड नम्बर टीन नम्बर एवं खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अनुसार एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस एवं इस कार्य से संबंधित वर्तमान में लागू या भविष्य में शासन द्वारा लागू किये गये समस्त वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध होना अनिवार्य होगा। एफ.एस.एस.ए.आई. लायसेंस हेतु आवेदन की स्थिति में छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगी व उपरोक्त समस्त दस्तावेज उपलब्ध कराने पर ही कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
23. निविदा की शर्तों/अनुबंधों में वर्णित शर्तों के उल्लंघन पर सुपर स्टॉकिस्ट को बिना कोई अग्रिम सूचना दिए संघ द्वारा हटाया जा सकेगा एवं यदि संघ उचित समझेगा तो सुपर स्टॉकिस्ट की अमानत राशि राजसात की जायेगी।
24. सुपर स्टॉकिस्ट की कार्यावधि प्रथमतः दो वर्ष होगी एवं कार्य संतोषप्रद होने पर आपसी सहमति से अनुबंध की समान शर्तों एवं निर्धारित दर पर कार्य अवधि एक-एक वर्ष कर तीन वर्ष तक बढ़ाई जा सकेगी।
25. किसी भी दशा में यदि सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा किसी वितरक की आपूर्ति बन्द कर दी जाती है तो सुपर स्टॉकिस्ट का यह दायित्व होगा कि उस क्षेत्र के नियमित पॉर्लर/एजेन्सी/उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति हेतु तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था उसी क्षेत्र में करें। प्रदायगी बन्द करने के पूर्व दुग्ध संघ को इसका कारण बताना होगा तथा दुग्ध संघ की बिना पूर्व अनुमति के प्रदायगी बन्द नहीं की जा सकेगी।
26. सुपर स्टॉकिस्ट को प्रतिमाह वितरकवार प्रतिदिन की विक्रय होने वाले दूध की मात्रा का माह में औसत विक्रय रिपोर्ट विक्रय केन्द्रों से प्राप्त कर दुग्ध संघ के प्रत्येक माह की 10 तारिख तक प्रस्तुत करना होगा। जिसके आधार पर दुग्ध संघ की स्थानिय विक्रय रिपोर्ट तैयार की जाएगी।
27. शहर में समय समय पर आयोजित होने वाले धार्मिक कार्यक्रम, मेला प्रदर्शनी आदि आयोजनों में लगने वाले दूध की मांग यदि संघ को सीधे प्राप्त होती है तो संघ द्वारा

निर्धारित विशेष रियायती दरों पर दूध प्रदाय सुपर स्टॉकिस्ट एवं संबंधित वितरक सह परिवहनकर्ता के माध्यम से की जाएगी, संबंधित आयोजनकर्ता/संस्था से संघ द्वारा निर्धारित छूट देते हुए वितरक सह-परिवहनकर्ता को भुगतान प्राप्त करना होगा। अन्यथा संघ द्वारा बिलिंग/प्रदायगी सीधे करने पर सुपर स्टॉकिस्ट एवं वितरक सह-परिवहनकर्ता को ऐसी प्रदायगियों पर कोई मार्जिन भुगतान नहीं किया जावेगा।

28. सुपर स्टॉकिस्ट दुग्ध संघ द्वारा निर्धारित सुपर स्टॉकिस्ट मूल्य पर सॉची दूध एक्स डेयरी डॉक उज्जैन पर उसकी मांग अनुसार विपणन हेतु प्राप्त करेगा, किन्तु कतिपय कारणों से जैसे पावर सप्लाई में गड़बड़ी दुग्ध संयंत्र की यांत्रिकी गड़बड़ी से मटेरियल (दुग्ध व अन्य पैकेजिंग सामान आदि) की अनुपलब्धता, हड़ताल, भुकंप आदि की स्थितियों में यदि दुग्ध संघ सुपर स्टॉकिस्ट की मांग अनुसार उसे सॉची दूध की उपलब्धता नहीं करा पाता है, तो ऐसी स्थिति में दुग्ध संघ द्वारा किसी भी तरह का हर्जाना आदि नहीं दिया जाएगा।
29. कार्य आवंटन उपरांत अनुबंध अवधि में यदि सुपर स्टॉकिस्ट की मृत्यू हो जाती है तो ऐसी स्थिति में कार्य को आगे जारी रखने एवं समस्त दायित्वों को निर्वहन करने के लिए सुपर स्टॉकिस्ट को विधि अनुसार उत्तराधिकारी नामित करना होगा। यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। इसके लिए सुपर स्टॉकिस्ट को उत्तराधिकारी करने हेतु सहमति देता है। इसके लिए सुपर स्टॉकिस्ट को उत्तराधिकारी के फोटो एवं उनसे संबंध आदि सम्पूर्ण विवरण का नोटरी किया हुआ शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा।
30. सुपर स्टॉकिस्ट की संघ में निर्धारित वितरण कार्य हेतु अवधि में सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा वाहन पंजीकरण से संबंधित दस्तावेजों में परिवर्तन बिना संघ की अनुमति के नहीं किया जावेगा। यदि किसी कारण सुपर स्टॉकिस्ट संघ से अनुबंधित वाहन विक्रय करता है या उसे बदलना चाहता है तो इस संघ की अनुमति लेना आवश्यक है तथा वाहन के विक्रय/बदलने के लिए पूर्व वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करना सुपर स्टॉकिस्ट का दायित्व होगा।
31. सुपर स्टॉकिस्ट को दूध प्रदाय करते समय प्रत्येक दृष्टि से उसकी जांच परख सुनिश्चित करना होगा। प्रदाय होने के पश्चात लीकेज/कम मात्रा अथवा क्रेट की जवाबदारी वितरक सह-परिवहनकर्ताओं की होगी
32. दुग्ध संघ को किसी भी वितरक/संस्था/होटल/केन्टीन शादी समारोह में सीधे भी दूध प्रदाय करने का अधिकार होगा। यदि ऐसा पाया जाता है कि सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा दुग्ध संघ हित में कार्य नहीं किये जा रहे हैं तो दुग्ध संघ द्वारा सीधे वितरकों को दूध प्रदाय करने का एकाधिकार सुरक्षित है।
33. सुपर स्टॉकिस्ट का कार्य आवंटन अहस्तांतरणीया होगा। यदि कार्य अवधि में किसी भी समय यह पाया जाता है कि सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा किसी अन्य व्यक्ति/पार्टी अथवा संस्था आदि को हस्तांतरित किया है तो दुग्ध संघ द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के तत्काल सुपर स्टॉकिस्ट का कार्य आवंटन एवं अनुबंध निरस्त कर दिया जाएगा।
34. यदि पक्षकारों के बीच इस ठेके के संबंध में कोई विवाद खड़ा हुआ तो उसे मध्यस्थता (Arbitrator) के माध्यम से विवाद के निराकरण हेतु (Arbitrator) अध्यक्ष, उज्जैन दुग्ध संघ, उज्जैन के समक्ष रखा जाएगा। जिनका निर्णय दोनों पक्षों को मान्य होगा।
35. इस अनुबंध को न्यायिक कार्यक्षेत्र उज्जैन शहर का न्यायालय में रहेगा। यह अनुबंध उपरोक्त शर्तों के अधीन दुग्ध संघ एवं सुपर स्टॉकिस्ट की आपसी रजामंदी के तहत दिनांकनिष्पादित किया गया है।

36. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा उज्जैन शहर में स्थित साँची दूध के समस्त वितरकों की (जिनकी संख्या दुग्ध संघ अपनी आवश्यकता अनुसार घटा या बढ़ा सकता है) साँची दूध, निर्धारित समयावधि में उपलब्ध करना सुनिश्चित करेगा।
37. सुपर स्टॉकिस्ट को डेयरी डॉक से प्राप्त किये गये साँची दूध का वितरण कार्य केवल इंसुलेटेड वाहन जिसकी भार क्षमता व वर्ष निविदा प्रपत्र में उल्लेख अनुसार ही करना अनिवार्य होगा।
38. सुपर स्टॉकिस्ट की आकस्मिक मृत्यु होने की स्थिति में संघ उसके मान्य उत्तराधिकारी को उस स्थिति में नियुक्त कर सकता है, यदि वह उत्तराधिकारी संघ के निर्धारित शर्तों का पालन करने हेतु सहमति देता है। उत्तराधिकारी का नाम अनुबंध पत्र के निष्पादन के समय नामिनेशन प्रदान किया जाना आवश्यक है।
39. दुग्ध संघ डेयरी डॉक उज्जैन से पैकड साँची दूध क्रेट में रखकर देगा। जिसे निर्धारित समय में सुपर स्टॉकिस्ट को उठाना होगा। डेयरी डॉक से सुपर स्टॉकिस्ट छांट कर अच्छी तरह से देखकर दूध का पैकेट प्राप्त करेंगे एक बार प्रदायगी पश्चात गुणवत्ता एवं लिकेज टूट-फूट आदि की जिम्मेदारी सुपर स्टॉकिस्ट की होगी।
40. सुपर स्टॉकिस्ट को वाहन चालक एवं लेबर के नाम व पता दुग्ध संघ को लिखित में सूचित करना होगा एवं इनका पुलिस वेरिफिकेशन कराया जाना आवश्यक होगा।
41. दुग्ध संघ द्वारा किसी भी वाहन चालक व दूध वाहन में कार्यरत लेबर को दुग्ध संघ परिसर में आने हेतु किसी भी कारण से यदि मना किया गया है तो उस वाहन चालक व लेबर को कोई भी अन्य सुपर स्टॉकिस्ट अपने वाहन में वितरण कार्य हेतु नहीं लगायेगा। इस शर्त का उल्लंघन करते पाये जाने पर दुग्ध संघ, सुपर स्टॉकिस्ट को कार्य आवंटन बिना नोटिस दिये निरस्त करने हेतु पूर्ण रूपेण स्वतंत्र रहेगा।
42. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा दी गई मांग अनुसार दुग्ध संघ द्वारा प्रदायगी हेतु डी.एम./गेटपास बनाये जाएंगे। सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा डी.एम./गेटपास अनुसार ही दूध की मात्रा वाहन में लोड की जावेगी। निरीक्षण के दौरान कभी भी डी.एम./गेटपास में अंकित विवरण से अधिक मात्रा में दूध, क्रेट अथवा अन्य सामग्री पायी जाती है तो अधिक पाई गयी दूध, क्रेट अथवा अन्य सामग्री की उपभोक्ता दर से 100 गुना तक अर्थदण्ड लगाया जा सकेगा। इसकी बार-बार पुनर्वावृत्ति होने पर अनुबंध समाप्त किया जा सकेगा।
43. सुपर स्टॉकिस्ट को दिन/रात्री पारी में पृथक-पृथक अपने अधिकृत प्रतिनिधि डेयरी डॉक उज्जैन पर अपने स्वयं के व्यय से उपलब्ध रखने होंगे, जो वाहनों में अपने समक्ष दूध लोड करायेगे तथा समय पर मांग उपलब्ध कराने तथा क्रेट वापसी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
44. सुपर स्टॉकिस्ट को उसके वाहन पर कार्यरत कर्मचारियों का पहचान पत्र बनवाना आवश्यक होगा, जो कि उनके द्वारा सत्यापित होगा, जिससे वाहन चालक एवं वाहन सहायक को डेयरी परिसर में प्रवेश के दौरान गले में लटकाना अनिवार्य होगा। पहचान पत्र का व्यय सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा वहन किया जावेगा। इसकी चैकिंग संघ की सुरक्षा शाखा द्वारा की जावेगी।
45. वितरण वाहन में कार्यरत कर्मचारी एवं वितरकों के बीच उठे विवादों को सुपर स्टॉकिस्ट अपने उपस्थिति में शांती पूर्वक सुलझावेगा, ताकि विवाद न बढ़ने पाये एवं दूध वितरण कार्य में किसी प्रकार की रूकावट न आने दें।
46. सुपर स्टॉकिस्ट शासन के समस्त निर्धारित करों आदि के भुगतान हेतु पूर्ण/रूपेण जवाबदार होगा, तथा केन्द्र शासन/राज्य शासन के इस विषय पर समय-समय पर दिये गये निर्देशों के पालनार्थ पूर्ण रूपेण बाध्य होगा। ऐसा न करने की स्थिति में संबंधित समस्त कानूनी कार्यवाही सुपर स्टॉकिस्ट के विरुद्ध की जा सकेगी।

47. सुपर स्टॉकिस्ट से जो भी बकाया राशि/अर्थदण्ड की राशि वसूली किया जाना निविदा प्रपत्र/अनुबंध की शर्तों में प्रस्तावित/प्रावधानित है की वसूली सुपर स्टॉकिस्ट से धनादेश के माध्यम से अथवा उनके द्वारा रखी जमानत राशि से की जाएगी।
48. सुपर स्टॉकिस्ट प्रतिमाह आवश्यकता अनुसार सुपर स्टॉकिस्ट समस्त वितरकों के प्रभारियों को 10 तारीख तक उनके विपणित की गई दुग्ध की मात्रा, राशि आदि का लेखा-जोखा उपलब्ध करवायेगा। तथा इसकी एक प्रतिलिपि दुग्ध संघ को भी अनिवार्य से उपलब्ध कराएगा।
49. सुपर स्टॉकिस्ट कार्य हेतु सुपर स्टॉकिस्ट को इंसुलेटेड वाहन स्वयं के नाम से पंजीकृत अथवा अनुबंधित होना अनिवार्य है।
50. अनुबंधित अवधि में वर्तमान में निर्धारित मार्गों के दुग्ध विक्रय के संबंध आवश्यकता अनुसार संशोधन कर नये मार्ग बनाने का अधिकार दुग्ध संघ को होगा। अतः इस प्रक्रिय के अन्तर्गत वितरकों के मार्गों के वर्तमान दुग्ध विक्रय केन्द्रों को नये मार्ग में सम्मिलित किया जा सकेगा तथा वितरकों की संख्या बढ़ाने पर सभी वितरकों को प्रदाय करना होगा।
51. सुपर स्टॉकिस्ट को शासन द्वारा जारी फूड लायसेंस लेना अनिवार्य है जिसकी छायाप्रति संघ कार्यालय में जमा करना अनिवार्य होगा। ठेकेदार को कार्य प्रारंभ करने के पूर्व आवंटित मार्ग पर स्थित सभी वितरकों से भी फूड लायसेन्स की कॉपी लेना होगी। अगर किसी वितरक के पास फूड लायसेन्स न हो तो उसे दूध की प्रदायगी नहीं की जावेगी।
52. निविदा प्रपत्र क्रमांक 03 में दी गई समस्त शर्तें एवं दुग्ध संघ द्वारा जारी पत्र/परिपत्र भी इस अनुबंध का भाग माने जाकर इस अनुबंध पत्र पर बंधनकारी होगी।
53. डेयरी परिसर में अंदर सुपर स्टॉकिस्ट के अधिन कार्यरत वाहन चालक द्वारा धुम्रपान, तम्बाकू, शराब आदि का सेवन एवं ऊंची आवाज में गाना बजाना आदि नहीं किया जावेगा, साथ ही वाहन चालक द्वारा डेयरी परिसर में वाहन की रफ्तार अधिकतम 20 कि.मी. प्रतिघंटा रखी जावेगी।
54. सुपर स्टॉकिस्ट अथवा उसके प्रतिनिधियों द्वारा संघ के कर्मचारियों/अधिकारियों संचालकों के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने पर संघ द्वारा निर्देशित कार्यवाही सुपर स्टॉकिस्ट को करनी होगी। आदेशों का पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार दुग्ध संघ को रहेगा।
55. उपरोक्त शर्तों के पालन में तथा संघ द्वारा समय-समय पर दिये गये निर्देशों/आदेशों एवं सूचनाओं का द्वितीय पक्षकार द्वारा पालन करना होगा अन्यथा पालन न करने की दशा में किसी भी समय आवंटन निरस्त करने का अधिकार प्रथम पक्षकार को रहेगा।
56. दुग्ध संघ द्वारा समय-समय पर जो भी निर्देश सुपर स्टॉकिस्ट को पत्रों/परिपत्रों के माध्यम से दिये जावेंगे, वे पत्र/परिपत्र अनुबंध का भाग माना जावेगा, व जिसका पालन सुपर स्टॉकिस्ट को अनिवाय रूप से करना होगा।
57. सुपर स्टॉकिस्ट द्वारा डीजल दरों, श्रमिक व्यय, स्टेशनरी व्यय, इन्वेस्टमेन्ट, विक्रय मात्राओं आदि समस्त व्ययों को दृष्टिगत रखते हुए ही निविदा में दरें प्रस्तुत की गयी है। अनुबंध अवधि में किसी भी व्यय में वृद्धि होने पर सुपर स्टॉकिस्ट को कोई अतिरिक्त लाभ (स्वीकृत सुपर स्टॉकिस्ट दरों के अतिरिक्त) दुग्ध संघ द्वारा देय नहीं होगा।
58. यह कि उज्जैन शहर में श्री/मेसर्स साँची दूध सुपर स्टॉकिस्ट के रूप मेंपैसे प्रतिलीटर (समस्त कर, एवं व्यय सहित) पर कार्य करेंगे।

मै. पिता/पति/पत्नि..... सुपर
स्टॉकिस्ट उज्जैन शहर अपना उत्तराधिकारी, (नामिनी), श्रीश्रीमती
..... को घोषित करता हूँ।

यह अनुबंध पत्र उभय पक्ष ने स्वेच्छा से दिनांक को हस्ताक्षर कर
निष्पादित किया है। अनुबंध अवधि की समाप्ति तक प्रथम पक्ष के निर्देशानुसार द्वितीय पक्ष द्वारा
संतोषप्रद कार्य करने पर "नोड्यूज" प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के पश्चात तथा सभी प्रकार के
देयकों की वसूली उपरांत प्रथम पक्ष द्वारा अमानत राशि व बैंक ग्यारंटी वापस की जा सकेगी।
अनुबंध की किसी भी कंडिका का द्वितीय पक्ष द्वारा पालन न करने पर प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध
समाप्त कर अमानत राशि आदि राजसात करने का अधिकार प्रथम पक्ष को होगा। उभय पक्ष ने
यह अनुबंध पत्र की शर्तें एवं परिशिष्ट भली प्रकार अध्ययन करके स्वेच्छा से संपादित किया है,
जो प्रमाण रहें एवं समय पर काम आवे।

हस्ताक्षर (प्रथम पक्ष)
मुख्य कार्यपालन अधिकारी
उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ
मर्या. मक्सी रोड़, उज्जैन -
456010

हस्ताक्षर (द्वितीय पक्ष)
साँची दूध सुपर स्टॉकिस्ट
नाम.....

हस्ताक्षर साक्ष्य - 1
नाम :
पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य - 1
नाम :
पता:

हस्ताक्षर साक्ष्य - 2
नाम :
पता:.....

हस्ताक्षर साक्ष्य - 2
नाम :
पता:

दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष/संचालक/अधिकारी/कर्मचारी से कोई संबंध नहीं होने का

शपथ पत्र का प्रारूप
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1- उज्जैन दुग्ध संघ द्वारा उज्जैन शहर में साँची दुग्ध सुपर स्टॉकिस्ट की नियुक्ति हेतु ई-निविदा आमंत्रित की गई है। मेरे द्वारा उज्जैन शहर में साँची दुग्ध सुपर स्टॉकिस्ट हेतु निविदा में भाग लिया गया है। तत्संबंध में मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मैं उज्जैन दुग्ध संघ के माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी संचालक महोदय, दुग्ध संघ के किसी भी अधिकारी अथवा कर्मचारी से मेरी कोई रिश्तेदारी या पारिवारिक संबंध नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के आधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

नवीन वाहन उपलब्ध करने संबंधी शपथ पत्र का प्रारूप।
(रु. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मैं शपथग्राहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा आमंत्रित उज्जैन शहर में साँची दुग्ध सुपर स्टॉकिस्ट हेतु मेरे द्वारा ई-निविदा प्रस्तुत की गई है। यदि उक्त निविदा स्वीकृत होती है तो मैं निविदा में उल्लेखित शर्तों के अनुसार न्यूनतम 7 मे. टन लोडिंग क्षमता की चार नवीन इंसुलेटेड वाहन सूचना प्राप्ति के एक माह के अन्दर लगाने हेतु वचनबद्ध हूँ अन्यथा मेरी निविदा अस्वीकार किये जाने पर मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णित संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

एमपीसीडीएफ या अन्य दुग्ध संघों से टर्मिनेट नहीं होने संबंधी
शपथ पत्र का प्रारूप।
(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा आमंत्रित उज्जैन शहर हेतु साँची दुग्ध सुपर स्टॉकिस्ट ई-निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि एमपीसीडीएफ भोपाल अथवा सम्बद्ध किसी भी दुग्ध संघ द्वारा आवेदक/शपथग्राहिता को किसी भी प्रकार की अनियमितता के कारण टर्मिनेट अथवा ब्लेक लिस्ट नहीं किया गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

....

सत्यापन

मैं शपथग्राहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

.

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्राहिता

किसी भी पुलिस थाने में अपराधिक प्रकरण नहीं होने संबंधी

शपथ पत्र का प्रारूप।

(रू. 100 के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर)

नाम —
पिता —
आयु —
निवासी —

1— मुझ शपथग्रहिता द्वारा उज्जैन सहकारी दुग्ध संघ मर्यादित, उज्जैन द्वारा आमंत्रित उज्जैन शहर हेतु साँची दुग्ध सुपर स्टॉकिस्ट ई-निविदा में भाग लिया गया है। मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता/करती हूँ कि मेरे विरुद्ध किसी भी थाने में किसी भी प्रकार का कोई अपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

....

सत्यापन

मैं शपथग्रहिता शपथ पूर्वक सत्य कथन करता हूँ कि उपरोक्त शपथ पत्र की पद संख्या 01 में वर्णीत संपूर्ण कथन मेरे निजी ज्ञान के अधार पर सत्य एवं सही है। इससे कुछ भी छिपाया नहीं गया है।

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

.

इति दिनांक उज्जैन

हस्ताक्षर शपथग्रहिता

उज्जैन शहर में वर्तमान में मार्गवार औसत साँची दूध
विक्रय मात्रा का विवरण :-

मार्ग क्रमांक	सुबह –शाम दोनों पारी की औसत दूध विक्रय मात्रा लीटर प्रतिदिन
मार्ग क्रमांक 01	7135
मार्ग क्रमांक 02	7395
मार्ग क्रमांक 03	7090
मार्ग क्रमांक 04	7215